तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 216/2024 बआनवान कमलसिंह वगैरा बनाम गिरधरसिंह वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

आदेश

दिनांक 29.08.2025

उपस्थिति–

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से श्री शैतानसिंह राठौड़।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से पूर्व हस्तगत प्रकरण दिनांक 15.06.2016 को नियत की गई थी जिसे बिना किसी प्रकार से अपीलांट को सूचित करते हुए दिनांक 13.06.2016 को लोक अदालत के कैम्प कोर्ट में नियत करते हुए अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया है। जबकि विधि अनुसार लोक अदालत में केवल राजीनामा के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। विप्रार्थीगण के द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में जबरदस्ती एवं ताकत के बल पर प्रार्थी/अपीलांट के कब्जा–काश्त की भूमि में दखलअंदाजी कर रहे हैं व वादग्रस्त आराजी को अपने नाम ज्यादा दर्ज होने का फायदा उठाते हुए किसी अजनबी क्रेता को बेचान करने पर आमादा हैं अगर रेस्पों. अपने उक्त मकसद में सफल रहे तो प्रार्थी के अपील का मकसद ही समाप्त हो जाएगा एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भविष्य में भरपाई की जानी संभव नहीं है। अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत हैं अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के संबंध में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उत्तरदातागण अपीलांट्स के वर्तमान मौके पर भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

2008(2)RJT(SUPREME COURT) Page 1535

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल ही नहीं है। दस्तावेजात सही है या नहीं यह दावे में तय होगे। न्यायालय को तय यह करना है कि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे या नहीं विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का यसम्मान अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश लोक अदालत केम्प में बिना अपीलांट को सूचना के ही पारित किया गया है जबकि लोक अदालत में मात्र उभपक्षकारान की जरिये सहमति या राजीनामा से ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है, जिसका अपीलाधीन आदेश में अभाव पाया गया है। हस्तगत वादग्रस्त आराजी का हस्तातंरण व खुर्द–बुर्द करने के डर से एवं वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने को ध्यान में रखते हुए खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 122/2012 बउनवान कमलसिंह वगैरह बनाम गिरधरसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 13.06.2016 को निरस्त किया जाकर मौजा सुरा नरपतान, तहसील बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 201 रकबा 44 बीघा 11 बीस्वा व खसरा संख्या 74 रकबा 38 बीघा 12 बीस्वा कुल रकबा 83 बीघा 03 बीस्वा भूमि के मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बेचान व हस्तातंरण नहीं करने हेतु उत्तरदातागण को पाबंद किया जाता है। उक्तानुसार अज

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अदालत के आदेश दिनांक 18.12.2024 को मूल वाद के निस्तारण तक कंन्फर्म (पुष्ट) किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली उक्तानुसार फैसलशुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

29/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर